अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)

माफी मन्दिर श्री जी महाराज बनाम ओमप्रकाश वगैरह

किस्म मुकदमा T. I. मु०न० 105/2023

तारीख हुक्म	
21/2/24	पत्रावली पेश/ वकील वादी उभय/ प्रार्थना दि० 22/02/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)
22/2/24	पत्रावली पेश/ वकील उभयपक्ष उभय/ प्रार्थना दि० 5/3/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)
5/3/24	पत्रावली पेश हुई, वकालत द्वारा [illegible] एडवोकेट/P.O. का राज्य कार्य में व्यस्त, दौरे पर होने से जनरल तारीख [illegible] लगा दी गई। पत्रावली दिनांक 13/3/24 को पेश हो।
13/3/24	पत्रावली पेश/ वकील उभयपक्ष उभय/ प्रार्थना दि० 15/3/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)
15/03/24	पत्रावली पेश/ वकील उभयपक्ष उभय/ पत्रावली में मूल वादपत्र का निस्तारण किया जा चुका है, इसलिए प्रार्थना पत्र 7E का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना अस्वीकार निरस्त्या खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर से कालम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)